

पी.ई.टी./पी.एम.टी. एवं पी.ए.टी. प्रशिक्षण योजना

उद्देश्य :-

अनुसूचित जाति / जनजाति के ऐसे छात्र-छात्राएं जिन्होंने कक्षा 11वीं उत्तीर्ण कर कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हो या कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण कर चुके हो तथा जिनके द्वारा कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण की हो तथा जो पी.ई.टी., पी.एम.टी. एवं पी.ए.टी. प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।

प्रावधान :-

1. प्रशिक्षण की पात्रता दो प्रशिक्षण सत्र से अधिक नहीं होगी।
2. चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
3. प्रशिक्षण लेने वाले छात्र-छात्राओं के लिए आय सीमा वही होगी। जो भारत भासिन द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित है।
4. छात्रावासी छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह रूपये 375 /- वि श्यवृत्ति दी जाएगी बाहर से आने वाले छात्रों को अधिकतम 125 /- प्रति छात्र आवागमन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी।
5. प्रशिक्षण अवधि 3 से 6 माह की अवधि का होगा।
6. प्रशिक्षण में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को प्रति छात्र स्टेण्डनरी 200 /-

और

पुस्तक क्रय करने हेतु अधिकतम 1500/- का व्यय किया जावेगा।

कौन लाभ ले सकता है?

अनुसूचित जाति /जनजाति के ऐसे छात्र-छात्राएं जिन्होंने कक्षा 11वीं उत्तीर्ण कर कक्षा 12वीं में अध्ययनरत या कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हों।

योजना का लाभ कैसे ले :- जैसे -

1. किससे संपर्क करें - सहायक आयुक्त आ.जा.क./प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य से
2. आवेदन प्रारूप कहां से प्राप्त करें:- प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य से।
3. आवेदन करने का तरीका निर्धारित प्रारूप में।
4. आवश्यक दस्तावेज :- जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भौक्षणिक अंक सूची।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास डिण्डौरी
जिला डिण्डौरी